न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2014/108

1. रामेश्वर आत्मज मांगीलाल जाति मीणा निवासी खेडली देवजी ।
2. कालू लाल आत्मज मांगीलाल जाति मीणा निवासी खेडली देवजी ।
3. रामप्रसाद आत्मज मांगीलाल जाति मीणा निवासी खेडली देवजी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल आत्मज पांचू जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी ।
2. प्रभूलाल आत्मज पांचू जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी ।
3. भैरूलाल आत्मज हीरा लाल जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी ।
4. बाबूलाल आत्मज हीरा लाल जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी ।
5. कैलाश आत्मज हीरा लाल जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी ।
6. मुकेश आत्मज हीरा लाल जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी ।
7. जगदीश आत्मज प्रभूलाल जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी ।
8. धर्मराज आत्मज प्रभूलाल जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी ।
9. सोनू आत्मज प्रभूलाल जाति प्रजापत निवासी खेडली देवजी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडली देवजी तहसील इन्द्रगढ में खतौनी संख्या नई 120 में आराजी खसरा नम्बर 263/3 रकबा 1.2000 हैक्टर, नई खतौनी संख्या 101 में खसरा नम्बर

263/1 रकबा 1.20 हैक्टर, नई खतौनी संख्या 105 में खसरा नम्बर 263/2 रकबा 1.20 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण ने एक खलिहान बना रखा है जिस पर वादीगण फसल तैयार करते हैं । उक्त खलिहान के चारों तरफ बाड बनाकर कांटों की बाड लगा रखी है । खलिहान को खेती का सामान रखने व मवेशियों को बांधने व चारा रखने एवं रेवडी वगै0 डालने के उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण ताकतवर व झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं वे उक्त भूमि अर्थात् खलिहान पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी एवं उस पर बने हुए खलिहान पर प्रतिवीगण जबरन कब्जा नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयें प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.01.2014 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.01.2014से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से वादपत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया और न ही कोई साक्ष्य पेश की है । वादीगण की ओर से राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम खातेदार के रूप में अंकित है साथ ही कब्जे बाबत् साक्ष्य विद्यमान थी । खसरा गिरदावरी पेश नहीं करने के आधार पर ही वादपत्र को खारिज किया गया है, जबकि खसरा गिरदावरी में मात्र खातेदार का नाम ही अंकित होता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.01.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही वे उपस्थित हुए । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादीगण का वाद कब्जे के अभाव में मानते हुए खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से वादपत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया और न ही कोई साक्ष्य पेश की है । वादीगण की ओर से राजस्व जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम खातेदार के रूप में अंकित है साथ ही कब्जे बाबत् साक्ष्य विद्यमान थी । खसरा गिरदावरी पेश नहीं करने के आधार पर ही वादपत्र को खारिज किया गया है, जबकि खसरा गिरदावरी में मात्र खातेदार का नाम ही अंकित होता है । वादग्रस्त आराजी नहरी नहीं है कब्जे के बाबत् सम्पूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड पर होने के उपरान्त भी परीक्षण न्यायालय ने

वाद खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी ने परीक्षण न्यायालय में अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श– 1 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम खेडली देवजी में खाता संख्या नया 101 में खसरा नम्बर 263/1 रकबा 1.2000 हैक्टर भूमि कालू लाल आत्मज मांगीलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श– 2 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम खेडली देवजी की आराजी खसरा नम्बर 263/2 रकबा 1.2000 हैक्टर भूमि रामप्रसाद आत्मज मांगीलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श– 3 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम खेडली देवजी की आराजी खसरा नम्बर 263/3 रकबा 1.2000 हैक्टर भूमि रामेश्वर आत्मज मांगीलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है ।

9. वादी ने बयान कालू लाल पीडब्ल्यू– 1 एवं पीडब्ल्यू– 2 रामप्रसाद कराये हैं ।

10. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के गैर खातेदारी मे दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत खातेदार/गैर खातेदार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा साबित करना अनिवार्य होने के आधार पर वाद खारिज किया है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार इन्द्रगढ जो कि भू–धारक है जिन्हें परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी कम 10 बनाया हुआ है। उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय में कोई जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के सम्बन्ध में भू–धारक/तहसीलदार इन्द्रगढ जवाबदावा प्रस्तुत कर बता सकते हैं, परन्तु परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार से जवाबदावा प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार, इन्द्रगढ से जवाबदावा प्राप्त कर अथवा कब्जे के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.09.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 12.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा